

द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष- मोहम्मद अजहर)

क्लेम प्रकरण क. 16/17

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 15.02.17

सकूर खां पुत्र श्री दरियाव खां आयु 45 वर्ष निवासी
लक्ष्मण तलैया वार्ड कं.-05 गोहद परगना गोहद
जिला भिण्ड

..... आवेदक

बनाम

संतोष चौरसिया पुत्र श्री रामचरण चौरसिया आयु 23 वर्ष
निवासी ग्राम बंधा बरथरा परगना गोहद, जिला भिण्ड
म0प्र0

.....अनावेदक

.....
आवेदक द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता
अनावेदक द्वारा श्री बी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।
.....

// अधि-नि र्ण य //

(आज दिनांक 10.01.2018 को पारित)

1. यह क्लेम याचिका धारा-166 मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत दिनांक 13.11.15 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पास आम रोड कस्बा गोहद में हुई मोटर वाहन दुर्घटना में आई चोटों से उत्पन्न स्थाई निशक्तता के फलस्वरूप अनावेदक से क्षतिपूर्ति राशि 1,50,000/-रुपए दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।
2. क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.11.15 को दिन के लगभग 02:00 बजे आवेदक सकूर खां रोड के किनारे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पास आम रोड कस्बा गोहद में गोहद बजार से पैदल पैदल आ रहा था, तभी अनावेदक संतोष चौरसिया मौ की तरफ से

अपनी मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और आवेदक को टक्कर मार दी, जिससे आवेदक के सिर में चोटें आईं, जहां से उसे गोहद अस्पताल ले जाया गया। गोहद अस्पताल से ग्वालियर अस्पताल भेजा गया। उक्त घटना की रिपोर्ट सकूर खां की पत्नी मदीना के द्वारा थाना गोहद में दर्ज कराई गई, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दुर्घटना के समय आवेदक मजदूरी एवं भैंस पालन कर दूध का विक्रय कर 15,000/-रुपए मासिक आय अर्जित करता था। दुर्घटना में आई चोटों के कारण आवेदक अभी भी मानसिक रूप से पीड़ित है। वह 13 दिन भर्ती रहा है तथा कार्य करने में असमर्थ रहा, जिससे उसे आय की हानि हुई। अनावेदक ने अपनी मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्रो क्रमांक एम0पी0-30-एम0जी0-0620 को चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की है। उक्त आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. अनावेदक संतोष चौरसिया की ओर से क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया है तथा आवेदक के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्य्यान करते हुए यह अभिवचन किया गया है कि उसकी मोटरसाइकिल से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। उसके द्वारा कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई है। उसके विरुद्ध झूठा क्लेम लेने के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

4. उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर मेरे द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गए, जिनके निष्कर्ष विवेचना के उपरांत उनके समक्ष लिखे जा रहे हैं:-

वादप्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या दिनांक 13.11.15 को अनावेदक ने मौ रोड एस.बी.आई. बैंक के पास आम रोड	प्रमाणित।

गोहद, भिण्ड में अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.जी.-0620 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आवेदक को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की।	
2. क्या उक्त दुर्घटना में आवेदक को गंभीर चोट आकर स्थाई निःशक्तता कारित हुई ? यदि नहीं तो उक्त चोटों का स्वरूप क्या था ?	स्थायी निःशक्तता कारित होना अप्रमाणित। सिर में घातक चोट आना प्रमाणित।
3. क्या आवेदक अनावेदक से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ? यदि हां तो कब और किस दर से ?	आवेदक, अनावेदक से क्षतिपूर्ति की राशि 46,800 /-(छियालीस हजार आठ सौ) रूपए रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है।
4. सहायता एवं वादव्यय ?	क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गयी।

—:सकारण निष्कर्ष:—

वाद प्रश्न क्रमांक 01:-

5. आवेदक सकूर खां आ0सा0-01 ने यह बताया है कि वह दिनांक 13.11.15 को दिन के लगभग 02:00 बजे गोहद बजार से अपने घर लक्ष्मण तलैया पैदल पैदल जा रहा था, वह अपने हाथ पर रोड के किनारे चल रहा था। जैसे ही मौ रोड बस स्टेण्ड के पास बैंक के सामने पहुंचा तो संतोष चौरसिया ने मोटरसाइकिल तेजी व लापरवाही से चलाकर मौ की तरफ से आकर उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया और उसके सिर में चोट आई, वहां उपस्थित लोगों ने उसे एम्बूलेंस बुलाकर गोहद अस्पताल इलाज के लिए भेजा था, जहां से उसे ग्वालियर अस्पताल भेज दिया गया। जिसकी रिपोर्ट गोहद थाने में उसकी पत्नी द्वारा लिखाई गई। उसने यह भी बताया है कि संतोष चौरसिया ने मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-30-एम0जी0-0620 को चलाकर टक्कर मारी थी।

6. आवेदक की पत्नी मदीना अ0सा0-02 ने आवेदक की उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि की है तथा संतोष चौरसिया के द्वारा मोटरसाइकिल को

तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके पति सकूर खां को टक्कर मारना बताया है। यह भी बताया है कि दूसरे दिन आकर गोहद थाने में रिपोर्ट की थी तथा घटना के समय परमाल सिंह एवं रसूल खां मौजूद थे। रसूल खां अ0सा0-03 ने भी स्वयं को चक्षुदर्शी साक्षी बताते हुए उपरोक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि की है। उसने यह भी बताया है कि उसने व अन्य लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर सकूर खां को अस्पताल भेजा था।

7. वहीं उसके विपरीत अनावेदक संतोष चोरसिया अना0सा0-01 ने यह बताया है कि उसकी मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-30-एम0जी0-0620 से उक्त दिनांक को किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। आवेदक ने पुलिस गोहद से मिलकर उसकी झूठी रिपोर्ट की है और झूठी रिपोर्ट के आधार पर यह क्लेम आवेदन क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया है।

8. पवन कुमार अना0सा0-02 ने भी यह बताया है कि उसकी दुकान मौ रोड एस.बी.आई बैंक के सामने गोहद में है, वह अपनी दुकान सुबह 08:00 बजे खोलता है और शाम 07:00 बजे बंद करता है। दिनांक 13.11.15 को दोपहर 02:00 बजे दिन में एस.बी.आई. बैंक गोहद के पास किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

9. आवेदक की ओर से प्र0पी0-01 लगायत प्र0पी0-08 के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई हैं, जो संबंधित आपराधिक प्रकरण की हैं, चिकित्सा से संबंधित दस्तावेज प्र0पी0-09 लगायत प्र0पी0-17 प्रस्तुत किए गए हैं। प्र0पी0-01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उक्त रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट आवेदक सकूर खां की पत्नी मदीना के द्वारा लिखाई गई है। जिसके अनुसार दिनांक 13.11.15 को दिन के लगभग 02:00 बजे की घटना बताई गई है। परंतु रिपोर्ट दिनांक 15.11.15 को लिखाई गई है। उक्त रिपोर्ट में यह तथ्य है कि संतोष चौरसिया से अपनी मोटरसाइकिल मौ रोड की तरफ लाकर तेजी व

लापरवाही से चलाकर उसके पति सकूर खां को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया और उसके सिर में चोट आई तथा जनता के लोगों ने एम्बूलेंस बुलवाकर गोहद अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया था। गोहद अस्पताल से ग्वालियर इलाज के लिए भेजा गया था।

10. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-01 में यह स्पष्ट तथ्य हैं कि रसूल खां ने मदीना को पूरी बात बताई और उसके बताए अनुसार मदीना ने रिपोर्ट लिखाई। प्र0पी0-06 रोगी कल्याण समिति गोहद की निःशुल्क रसीद का अध्ययन करने स्पष्ट है कि दिनांक 13.11.15 को सकूर खां को गोहद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लाया गया है। जिसमें मामला एक्सीडेंट के होने का लेख है तथा मरीज को भर्ती होने की सलाह दी गई है। उसके बाद उसे ग्वालियर जे0ए0 अस्पताल के रैफर करना बताया गया है, जिससे कि स्पष्ट हो जाता है कि एक्सीडेंट होने के कारण आवेदक सकूर खां को गोहद अस्पताल लाया गया था, जहां से उसे ग्वालियर अस्पताल रैफर किया गया था।

11. प्र0पी0-07 के प्रिस्क्रिप्शन तथा प्र0पी0-04 के केस रिकॉर्ड आदि का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 14.11.15 को अर्थात् उसी दिनांक 13.11.15 की रात्रि 01:30 बजे के लगभग सकूर खां को जे0ए0 अस्पताल लाया गया है। जहां उसका इलाज प्रारंभ हुआ है। प्र0पी0-07 का न्यूरोट्रामा नोट्स का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें भी दिनांक 13.11.15 को दिन में 03:00 बजे के लगभग रोड एक्सीडेंट से चोट आने के तथ्य है, जिसमें फ्रंटो पैराइटल मल्टीपल कन्टूजन होने तथा सेमीकॉन्शस होने तथा न बोल पाने की स्थिति में होना लेख है। उसके ब्रेन में सूजन होना बताया गया है, मरीज के द्वारा वोमिटिंग करना बताया गया है। नाक, कान से खून आने का उल्लेख है।

12. प्र0पी0-04 के केस रिकॉर्ड में भी दिनांक 13.11.15 को दोपहर 03:00 बजे एक्सीडेंट से चोट आने का उल्लेख है। प्रस्तुत किए गए

आपराधिक प्रकरण से दस्तावेजों से स्पष्ट है कि रसूल खां के बताए अनुसार मदीना के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है। इसके खण्डन में अनावेदक की ओर से आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की ऐसी कोई प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे कि स्पष्ट हो कि रसूल खां आपराधिक प्रकरण में साक्षी नहीं था। रसूल खां अ0सा0 03 ने स्वयं के सामने घटना होना बताया है। उपरोक्त चिकित्सीय दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आवेदक को हेड इंजरी आई है और वह दिनांक 15.11.15 से 24.11.15 तक अर्थात् दस दिवस जे0ए0 अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती रहा है, उसे आगे सर्जरी के लिए रैफर किया गया है।

13. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-01 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाए जाने के कारण पति का इलाज कराया जाना लिखा है। उपरोक्त दस्तावेजों से स्पष्ट है कि सकूर खां के सिर में चोट आकर उसकी गंभीर स्थिति थी। वह दस दिवस तक भर्ती रहा है। उसके बाद भी उसे सर्जरी के लिए रैफर किया गया है। इतनी हालत खराब होने पर यह स्वाभाविक है कि व्यक्ति पहले अपने परिवार के सदस्य का इलाज कराएगा और उसके बाद रिपोर्ट लिखाएगा, क्योंकि जीवन का खतरा होने से पहले इलाज कराकर जीवन को बचाया जाना आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में दिनांक 15.11.15 को अर्थात् दो दिवस में रिपोर्ट लिखाया जाना स्वाभाविक है और विलंब का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण भी है।

14. यद्यपि सकूर खां अ0सा0-01 ने पैरा-11 में एवं पैरा-08 में यह स्वीकार किया है कि उसने आज तक वह आदमी नहीं देखा है, जिसके वाहन से दुर्घटना हुई हो तथा वह यह भी नहीं देख पाया था कि कौन सी मोटरसाइकिल टक्कर मार कर गई है। यह स्वाभाविक भी है कि क्योंकि जिस व्यक्ति के उपरोक्त प्रकार से सिर में चोटें आएंगी और वह अर्द्धचेतन अवस्था में होगा, ब्रेन में सूजन होगी, नाक कान से खून बह रहा होगा,

ऐसी स्थिति में उसके द्वारा टक्कर मारने वाले को नहीं देखा जाना स्वाभाविक व प्राकृतिक है।

15. मदीना आ0सा0-01 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-04 में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई है अर्थात यह साक्षी भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। रसूल खां आ0सा0-03 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, जिसने स्वयं के सामने घटना होना बताया है। पैरा-08 में यह बताया है कि मोटरसाइकिल का नंबर किसी लड़के से लिखवाया था, उसने लड़के से कहा था कि गाड़ी का नंबर ले लो, तो उसने नंबर ले लिया था। इस प्रकार रसूल खां किसी लड़के के द्वारा नंबर लेना बताता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-01 के अनुसार उक्त घटना रसूल खां के द्वारा बताए जाने पर आवेदक की पत्नी मदीना के द्वारा प्र0पी0-01 की रिपोर्ट लिखाई गई है। पुलिस के द्वारा भी अनुसंधान में संतोष चौरसिया को प्रथम दृष्टि में दोषी पाते हुए, उसके विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया है। जैसा कि संतोष चौरसिया अना0सा0-01 ने स्वीकार किया है कि उसके विरुद्ध इस मामले से संबंधित प्रकरण संचालित है।

16. जप्ती पंचनामा प्र0पी0-03 के अनुसार उक्त प्रश्नगत मोटरसाइकिल अनावेदक से ही जप्त हुई है, जो कि दिनांक 16.11.15 को जप्त हुई है। अनावेदक की ओर से यह आधार लिया गया है कि उसके द्वारा दुर्घटना कारित नहीं की गई है। जिसके संबंध में प्रतिपरीक्षण में पैरा-03 में उसने यह बताया है कि घटना दिनांक को वह अपनी मां सुशीला देवी को इलाज हेतु सुबह 07:00 बजे ग्वालियर ले गया था। परंतु अनावेदक की ओर से अपनी का इलाज संबंधी दिनांक 13.11.15 का कोई पर्चा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है और न ही यह आधार जवाब दावे में लिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रकट नहीं होता है कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक अपनी मां को इलाज हेतु सुबह 07:00 बजे ग्वालियर लेकर गया था। अन्य साक्षी पवन कुमार अना0सा0-02 के संबंध में यह स्वीकार किया है कि

पवन, अनावेदक के समाज का ही है और उसकी एक या दो साल से अनावेदक से मित्रता है।

17. अनावेदक की ओर से प्र0डी0-01 के आवेदन का मसौदा एवं कोरियर रसीद प्र0डी0-02 प्रस्तुत की गई है। प्र0डी0-01 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें अनावेदक के द्वारा यह तथ्य लिखे है कि फरियादिया का पति सकूर खां शराब पीने का आदी है और ज्यादा मात्रा में शराब पीने के कारण नशे में गिर जाने से उसे चोटें आई होंगी तथा उसकी मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-30-एम0जी0-0620 से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। शराब पीकर गिर जाने से आई चोटों को गलत मेडीकल बनवाकर अनैतिक लाभ लेने के उद्देश्य से झूठा फंसाया गया है।

18. उल्लेखनीय है कि जो चिकित्सीय दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, वह कतई फर्जी या गलत होना प्रतीत नहीं होते हैं। अपितु उनसे यह प्रकट हो रहा है कि आवेदक को उक्त दिनांक को चोटें आकर उसे गोहद अस्पताल लाया गया है। जहां से ग्वालियर रैफर किया गया है तथा ग्वालियर में भी उपरोक्त गंभीर चोटें होने से 10 दिन भर्ती रहा है, तब ऐसी स्थिति में अनावेदक के इस आधार को कतई बल नहीं मिलता है कि चिकित्सीय दस्तावेज गलत बनवाए हैं।

19. अनावेदक के द्वारा जो अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया है उसमें यह आधार लिया ही नहीं है कि पुलिस अधीक्षक की ओर कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अनावेदक के द्वारा जो रसीद प्रस्तुत की गई है, कोरियर सर्विस की रसीद है और उस कोरियर करने वाले किसी भी कर्मचारी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अनावेदक के द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड के समक्ष या कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुति की भी कोई प्राप्ति नहीं ली गई है। प्र0डी0-01 में किसी भी तरह की कोई प्राप्ति या अभिस्वीकृति नहीं है।

20. कोरियर सर्विस का भी यह सामान्य नियम होता है कि जहां पर कोरियर के माध्यम से डाक भेजी जाती है, तब प्राप्त करने वाले की प्राप्ति के हस्ताक्षर पृथक से रजिस्टर या पृष्ठ पर कराए जाते हैं। अनावेदक के द्वारा ऐसी कोई प्राप्ति या अभिस्वीकृति का कोई दस्तावेज न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही तलब कराया गया है। अतः यह कतई मान्य नहीं किया जा सकता कि कोरियर के माध्यम से उक्त आवेदन भेजा गया और पुलिस अधीक्षक के द्वारा या उसकी ओर से उक्त आवेदन को प्राप्त किया गया। अनावेदक की ओर से रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेजा जाना व्यक्त नहीं किया गया है। इस प्रकार प्र0डी0-01 के मसौदे से अनावेदक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

21. अनावेदक की ओर से यह आधार भी लिया या है न तो उसे मोटरसाइकिल चलानी आती है और न ही उसके पास ड्रायविंग लाइसेंस है। परंतु इस आधार का अभिवचन भी जवाब दावे में नहीं है। अनावेदक ने इस तथ्य से इन्कार नहीं किया है कि वह प्रश्नगत मोटरसाइकिल का स्वामी है। यह मानवीय संव्यवहार के साधारण अनुक्रम में पूर्णतः अस्वाभाविक है कि व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलानी न आती हो और वह मोटरसाइकिल खरीदे और या मोटरसाइकिल खरीदने के बाद वह मोटरसाइकिल चलाना न सीखे। इस प्रकार निश्चित तौर पर संभावनाओं की प्रबलता अनावेदक के विरुद्ध ही जाती है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रकट और प्रमाणित होता है कि उक्त दुर्घटना अनावेदक के द्वारा ही कारित की गई है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि दिनांक 13.11.15 को अनावेदक ने एस.बी.आई. बैंक के पास कस्बा गोहद में अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.जी.-0620 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आवेदक को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की। जिसमें आवेदक की कोई त्रुटि होना प्रकट नहीं होती है।

वादप्रश्न क्रमांक 02:-

22. इस संबंध में आवेदक की ओर से स्थाई निशक्तता का कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है और न ही चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। जहां तक की चोटों के स्वरूप का प्रश्न है, उपरोक्तानुसार आवेदक को हेड इंजरी आई है, राइट फ्रंटोपैराइटल मल्टीपल कंटूजन है। दुर्घटना के बाद वह चलने की स्थिति में नहीं था और अर्द्ध चेतन अवस्था में था। ई3, वी3 एवं एम5 मूवमेंट की स्थिति में नहीं थी, उल्टी आ रही थी। नाक कान से खून बह रहा था, ब्रेन में सूजन थी, उसे सर्जरी के लिए रेफर किया गया था, वह 10 दिन तक भर्ती रहा था। इस प्रकार उसे सिर में घातक चोटें थी।

वादप्रश्न क्रमांक 03:-

23. आवेदक को आई उक्त चोटों को देखते हुए मानसिक वेदना एवं शरीरिक पीड़ा के लिए 25,000/-रुपए की राशि दिलाई जाती है। वह दिनांक 13.11.15 के पश्चात दिनांक 24.11.15 तक भर्ती रहा है और उसका इलाज हुआ है। वह न्यूरो सर्जरी वार्ड में भर्ती रहा है। अतः विशेष आहार, आवागमन एवं परिवहन तथा अटेण्डर के मद में उसे 6,000/-रुपए की राशि दिलाई जाती है।
24. आवेदक ने मजदूरी एवं भैंस पालन कर दूध विक्रय कर 15,000/-रुपए प्रतिमाह की आय होना बताया है। परंतु पैरा-10 में यह स्वीकार किया है कि वह लगातार मजदूरी नहीं करता है। यह भी स्वीकार किया है कि भैंस की देखरेख वह और उसके बच्चे करते हैं, भैंस का दूध उसकी पत्नी निकालती है। भैंस का घास चारा, पानी आदि उसकी पत्नी करती है और वह अपनी भैंसों की देखरेख नहीं करता है। अतः ऐसी स्थिति में स्वयं के द्वारा भैंसों के दूध विक्रय आदि से 15,000/-रुपए प्रतिमाह की आय आवेदक को होना प्रमाणित नहीं होती

है।

25. वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर अकुशल श्रमिक के हिसाब से लगाए तथा यह भी मान्य करे कि कम से कम 20-25 दिवस कार्य करता है। तब भी कम से कम 5,000/-रु. आय प्रतिमाह की दर से होती है। न्यूनतम मजदूरी की दर तथा मंहगाई, आवश्यकता तथा अन्य सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक की मासिक आय 5,000/-रु. मासिक मान्य की जाती है। आवेदक की उपरोक्त शारीर की चोटों को देखते हुए वह कम से कम तीन माह तक अपने कार्य से विरत रहा होगा। अतः तीन माह की आय की हानि 15,000/-रुपए आवेदक को दिलाई जाती है।

26. आवेदक को इलाज का व्यय भी दिलाया जाना न्यायोचित है। प्र0पी0-10 के सी.टी.स्केन की रसीद 800/-रुपए की है। आवेदक की ओर से कैश मेमो प्र0पी0-11 लगायत 17 पेश किए गए हैं। परंतु उसमें आवेदक का नाम नहीं है। अतः उक्त राशि आवेदक को नहीं दिलाई जा सकती है। इस प्रकार इलाज के व्यय के रूप में केवल 800/-रुपए की राशि आवेदक को दिलाई जाती है। भविष्य में होने वाले उपचार के संबंध में कोई साक्ष्य या चिकित्सीय दस्तावेज पेश नहीं है। अतः भविष्य में होने वाले इलाज की कोई राशि नहीं दिलाई गई। इस प्रकार आवेदक, अनावेदक से निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है:-

क्रमांक	मद	राशि
1	मानसिक वेदना एवं शारीरिक पीड़ा के मद में	25,000/-रुपए
2.	आय की हानि	15,000/-रुपए
3.	विशेष आहार, आवागमन एवं अटेण्डर के मद मे	6,000/-रुपए
4.	इलाज का व्यय	800/-रुपए
	कुल राशि	46,800/-रुपए

वादप्रश्न क्रमांक 04 सहायता एवं वाद व्यय :-

27. इस प्रकार आवेदक अपनी क्लेम याचिका आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः उसकी क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आवेदक के पक्ष में एवं अनावेदक के विरुद्ध निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित जाता है:-

1. अनावेदक, आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि **46,800 /-(छियालीस हजार आठ सौ) रूपए** अधिनिर्णय दिनांक 10.01.2018 से दो माह की अवधि में अदा करें।
2. अनावेदक, आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 15.02.17 से संपूर्ण राशि की अदायगी तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी अदा करें।
3. आवेदक को प्राप्त होने वाली उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि **46,800 /-(छियालीस हजार आठ सौ) रूपए** एवं उस पर ब्याज की राशि आवेदक को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान की जावे।
4. अनावेदक अपना स्वयं का तथा आवेदक का वाद व्यय वहन करेगा। अभिभाषक शुल्क 1,000 /-रूपए निर्धारित किया जाता है। उपरोक्तनुसार व्यय तालिका तैयार की जावे।

अधिनिर्णय न्यायालय में दिनांकित एवं मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि.
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा.अधि.
गोहद, जिला भिण्ड